दिनांक 02.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 02/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चित्रकूट/थाना राजापुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.07.2021 को थाना राजापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनूप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद चित्रकूट, बांदा के विभिन्न थानो से चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना राजापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2018 धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 124/2018 धारा 379/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना राजापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनूप निवासी साड़ासानी थाना कमासिन जनपद बांदा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना हल्दौर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 02.07.2021 को थाना हल्दौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैंजनिया चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विशेष उर्फ बिसु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/2021 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशेष उर्फ बिसु निवासी मुकरपुर गदई थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद झाँसी/थाना पूंछ

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 81 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित 04 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 01.07.2021 को थाना पूंछ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर समथर रोड़ ग्राम धौरका मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर

साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अंशुल 2—रन्नी सिंह घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मोके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 81 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मोठ पर मु0अ0सं0 97/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पूंछ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंशुल निवासी कोतवाली देहात दतिया मध्यप्रदेश।

2—रन्नी सिंह निवासी कोतवाली देहात दतिया मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1—लूट के 81 हजार 500 रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.07.2021 को थाना देवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शकील को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 362/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शकील निवासी मो0कटरा बिजनौर थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

जनपद मथुरा/थाना छाता

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.07.2021 को थाना छाता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैमरी पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लव ठाकुर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छाता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2021 धारा 395/504/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लव ठाकुर निवासी लीखी थाना हसनपुर जनपद पलवल हरियाणा।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली शहर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.07.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शैलेश तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सूरज उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना विंध्याचल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सूरज उर्फ सोनू निवासी कंगाल पड़री थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चिनहट

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.07.2021 को थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अपट्रान तिराहा के पास से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—प्रशान्त उर्फ शुभम 2—दिलीप कुमार 3—अजीत उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं। जो भीड–भाड़ एवं एकांत में खड़ी मोटर साइकिल की चोरी कर कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर दूसरे जनपदो में कम दामो पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रशान्त उर्फ शुभम निवासी ग्राम व पोस्ट त्रिलोकपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी।

2–दिलीप कुमार निवासी सिकोहना थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

3–अजीत उर्फ बंटी निवासी ढ़कवा अहिरन थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

एस0टी0एफ0–लूट एवं डकैती करने वाले गिरोह के 06 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 01.07.2021 को विभिन्न जनपदों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट एंव डकैती करने वाले गिरोह के 06 सदस्यों को थाना बडौत जनपद बागपत क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार करने में एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. छोटू सिंह उर्फ रजत सिंह पुत्र राजप्रताप सिंह नि0 ठकुरायन खेडा थाना बछरावा, रायबरेली ।
2. अमन सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 भवानीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद प्रतापगढ।
3. मोनू उर्फ महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र उदयराज सिंह नि0 ऊचौंरी थाना शिवगढ़, रायबरेली।

4. देवेन्द्र सिंह पुत्र शंकर बक्स सिंह नि0 ऊफरापुर थाना बछरावा, रायबरेली।

5. विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ पंकज पुत्र बजरंग बहादुर सिंह नि0 पासीकुसी थाना बछरावा, रायबरेली।

6. नितिश कुमार उर्फ शीलू पुत्र छोटे लाल नि0 कलुईखेडा थाना बछरावा, रायबरेली।

बरामदगीः—

1. 02 अदद देशी पिस्टल .32 बोर
2. 06 कारतूस जिन्दा .32 बोर
3. 02 अदद तमंचे 315 बोर
4. 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. 01 अदद स्विफट डिजायर कार नं0—यूपी—32 जीआर—1409

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 01.07.2021, स्थानः—धर्मेन्द्र ईंट भटटा बडौली के सामने दिल्ली बडौत रोड, थाना बडौत जनपद बागपत समयः—17.00 बजे।

एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उ0प्र0 में अपराधियों द्वारा विभिन्न जनपदों में राह चलते व्यक्तियों के साथ लूटपाट एंव डकैती करने वालें गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उक्त आसूचना के दृष्टिगत श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 मेरठ यूनिट के निर्देशन में निरी0 श्री रविन्द्र कुमार, उ0नि0 श्री संजय सिंह, श्री अरूण कुमार निगम, हे0कां0 संजय सिंह, दीपक कुमार, वीर बोस, रवि वत्स एवं कान्स0 जानसन की टीम वांछित/ईनामियॉ अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद बागपत में मामूर थी, तो सूचना प्राप्त हुई कि धर्मेन्द्र ईंट भट्टा बडौली के पास सड़क किनारे

खड़ी एक स्विफ्ट डिजायर के पास 05 लोग खड़े होकर आपस में भट्टे के मुनीम से कैश लूटने की योजना बनाकर घटना को अन्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर विश्वास करके एसटीएफ टीम स्थानीय पुलिस को साथ लेकर ईंट भट्टा के पास से एक स्विफ्ट डिजायर गाडी नं0 यूपी–32 जीआर–1409 सफेद रंग बरामद करते हुए उसमें बैठे सभी उपरोक्त 06 व्यक्तियों को बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उक्तानुसार बरामदगी की गयी।

अभियुक्तों ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2015 में शिवमंगल निवासी मैहरी थाना बछरावा जनपद रायबरेली नामक व्यक्ति के अपहरण कर हत्या के मामलें में अभियुक्त छोटू सिंह उर्फ रजत उपरोक्त जेल गया था, जो वर्ष 2017 में जिला कारागार रायबरेली से जिला कारागार मेरठ स्थानान्तरित हुआ था, जिसकी जिला कारागार मेरठ में गौरव पंडित निवासी मेरठ नामक अपराधी से मुलाकात हुई थी, जिससे जमानत होने के उपरान्त भी बातचीत होती रहती थी। छोटू उर्फ रजत को अपने मुकदमें की पैरवी के लिए कुछ रूपयों की आवश्यकता थी, जिसमें गौरव पंडित नामक अपराधी से रजत उर्फ छोटू द्वारा कुछ पैसों का इंतजाम करने को कहे जाने पर उसके द्वारा धर्मेन्द्र ईंट भट्टा वहद ग्राम बडौली थाना बडौत जनपद बागपत के पास कैश होना बताये जाने पर भट्टा मुनीम से कैश लूटने की घटना को अन्जाम दिये जाने की योजना बनाकर तैयारी कर ही रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना बडौत जनपद बागपत पर मु0अ0सं0 760/2021 धारा 399/402 भादवि, अ0सं0 761 से 764/2021 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुए हैं, अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना बडौत जनपद बागपत पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>नितिश कुमार उर्फ शीलू पाल पुत्र छोटे लाल नि0 कलुईखेडा थाना बछरावा, जनपद रायबरेली।</u>

<u>एच0एस0नं0–140ए</u>

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	236/16	392/411 भादवि	शिवगढ	रायबरेली
2	244/16	2/3 गैगस्टर एक्ट	शिवगढ	रायबरेली

3	44 / 16	392 भादवि	महराज गंज	रायबरेली
4	123 / 16	394 भादवि	गुरूवक्श गंज	रायबरेली
5	483 / 17	3 / 4 गुण्डा एक्ट	बछरावा	रायबरेली
6	377 / 18	323 / 504 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
7	169 / 20	307 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
8	170 / 20	188 / 269 / 270 / 271 भादवि	बछरावा	रायबरेली
9	173 / 20	3 / 25 आर्म्स एक्ट	बछरावा	रायबरेली
10	207 / 20	420 / 406 / 467 / 468 / 471 भादवि	पीजीआई	लखनऊ

विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ पंकज पुत्र बजरंग बहादुर सिंह नि0 पासीकुसी थाना बछरावा, जनपद रायबरेली।

एच0एस0नं0–116ए

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	291 / 00	323 / 504 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
2	360 / 00	324 / 323 / 504 / 506 भादवि व एससी / एसटी एक्ट	बछरावा	रायबरेली
3	361 / 00	307 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
4	34 / 01	323 / 324 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
5	37 / 01	147 / 149 / 307 / 504 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
6	97 / 06	3 / 4 गुण्डा एक्ट	बछरावा	रायबरेली
7	26 / 07	147 / 504 / 506 / 452 / 323 / 436 / 427 भादवि	बछरावा	रायबरेली
8	419 / 07	3 / 4 गुण्डा एक्ट	बछरावा	रायबरेली
9	542 / 07	323 / 504 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
10	1086 / 11	3 / 4 गुण्डा एक्ट	बछरावा	रायबरेली
11	1105 / 11	379 भादवि व बन अधि0	बछरावा	रायबरेली
12	छब्द 56 / 12	323 / 504 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
13	197 / 16	3 / 4 गुण्डा एक्ट	बछरावा	रायबरेली
14	332 / 12	3 / 4 गुण्डा एक्ट	बछरावा	रायबरेली
15	1677 / 10	110 जी द0प्र0सं0	बछरावा	रायबरेली
16	267 / 09	110 जी द0प्र0सं0	बछरावा	रायबरेली
17	169 / 20	307 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
18	170 / 20	188 / 269 / 270 / 271 भादवि	बछरावा	रायबरेली
19	207 / 20	420 / 406 / 467 / 468 / 471 भादवि	पीजीआई	लखनऊ

देवेन्द्र सिंह पुत्र शंकर बक्स सिंह नि0 ऊफरापुर थाना बछरावा जनपद रायबरेली।

एच0एस0नं0 117ए

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	123ए / 08	147 / 323 / 504 / 506 / 392 भादवि	बछरावा	रायबरेली
2	124 / 08	147 / 148 / 149 / 307 / 452 / 336 / 504 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
3	542 / 07	323 / 504 / 506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
4	146 / 96	323 / 504 / 506 / 427 भादवि	बछरावा	रायबरेली
5	252 / 08	110 जी द0प्र0सं0	बछरावा	रायबरेली
6	310 / 08	3 / 4 गुण्डा एक्ट	बछरावा	रायबरेली
7	1984 / 08	379 भादवि	कोत0नगर	रायबरेली
8	1743 / 08	379 भादवि	कोत0नगर	रायबरेली
9	निल / 08	41 / 411 भादवि	कोत0नगर	रायबरेली

छोटू सिंह उर्फ रजत सिंह पुत्र राजप्रताप सिंह नि0 ठकुरायन घेडा थाना बछरावा जनपद रायबरेली ।

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	427 / 15	364 / 201 / 120बी भादवि	बछरावा	रायबरेली

———————